




गृह मंत्रालय
MINISTRY OF
HOME AFFAIRS



Snatching



गृह मंत्रालय
MINISTRY OF
HOME AFFAIRS



छीनाझपटी

◆ Putting an End to Snatching Menace—One law for the whole Nation

- Snatching has shown itself as one of the biggest threats to all strata of society, predominantly women and the elderly. The rising incidents of chain snatching and mobile phone snatching, which contain sensitive data, financial information and passwords, have necessitated the addition of a section in Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS) 2023.

BNS 2023 provides for serious punishments with regard to snatching

- **Imprisonment and Fine:** Introduction of Section 304 has marked snatching as a distinct crime with up to 3 years of imprisonment and a fine as prescribed. The court determines the specific term and amount based on the case severity, the offender's past record, and other factors. It also comes under 'petty organised crime' if committed by a group or gang.
- **Theft Vs Robbery:** While considered a serious offence, snatching generally attracted a lesser punishment than robbery under the IPC due to the absence of threats or bodily harm. Theft in BNS involves taking movable property without consent, but not necessarily using force.



♦ स्नैचिंग के खतरे को खत्म करना-देश के लिए एक कानून

- स्नैचिंग (छीनाझपटी) ने खुद को समाज के सभी वर्गों, मुख्य रूप से महिलाओं और बुजुर्गों के लिए सबसे बड़े खतरों में से एक के रूप में दिखाया है। चेन स्नैचिंग और मोबाइल फोन स्नैचिंग की बढ़ती घटनाओं, जिसमें संवेदनशील डेटा, वित्तीय जानकारी और पासवर्ड शामिल हैं, को दंडित करने के लिए एक धारा जोड़ने की आवश्यकता है।

भारतीय न्याय संहिता 2023 में स्नैचिंग के संबंध में निम्नलिखित दंडों का प्रावधान किया गया है:

- **कारावास और जुर्माना:** धारा 304 में स्नैचिंग को एक अलग अपराध के रूप में चिह्नित किया गया है जिसमें 3 साल तक की कैद और जुर्माना निर्धारित है। अदालत मामले की गंभीरता, अपराधी के पिछले रिकॉर्ड और अन्य कारकों के आधार पर अवधि और जुर्माने की राशि निर्धारित करती है। यदि यह किसी समूह या गिरोह द्वारा किया जाता है तो यह 'छोटे संगठित अपराध' के अंतर्गत भी आता है।



सत्यमेव जयते

Robbery, on the other hand, involves threats or actual violence along with the taking of property by force.

Impact and Benefits:

- **Victim Protection:** The creation of a specific offence for snatching acknowledges this crime's distinct impact on victims, who often suffer physical and emotional trauma over and above the loss of property.
- **Protection of valuable data:** Mobile phones which contain sensitive personal data, financial information and passwords are protected by separately making the act of 'snatching' as an offence.
- **Deterrence:** The specific punishment for snatching aims to discourage potential offenders and send a strong message about the seriousness of the government to tackle the crime.

सत्यमेव जयते



- **चोरी बनाम डकैती :** हालांकि स्नैचिंग को एक गंभीर अपराध माना जाता है, लेकिन धमकियों या शारीरिक नुकसान की अनुपस्थिति के कारण आईपीसी के तहत स्नैचिंग में आम तौर पर डकैती की तुलना में कम सजा होती है। भारतीय न्याय संहिता में चोरी में सहमति के बिना चल संपत्ति लेना शामिल है, लेकिन जरूरी नहीं कि बल प्रयोग किया जाए। दूसरी ओर, डकैती में संपत्ति छीनने के साथ-साथ धमकी या वास्तविक हिंसा भी शामिल होती है।

प्रभाव और लाभ:

- **पीड़ित की सुरक्षा:** छीनाझपटी होने पर पीड़ित अक्सर संपत्ति के नुकसान के अलावा शारीरिक और भावनात्मक अघात भी झेलते हैं। इस बात को कानून में स्थान दिया गया है।
- **मूल्यवान डाटा की सुरक्षा:** जिन मोबाइल फोन में संवेदनशील व्यक्तिगत डाटा, वित्तीय जानकारी और पासवर्ड होते हैं, उन्हें अलग से छीनने के कृत्य को अपराध बनाकर संरक्षित किया गया है।
- **निरोध:** स्नैचिंग के लिए विशिष्ट सजा का उद्देश्य संभावित अपराधियों को हतोत्साहित करना और अपराध की गंभीरता के बारे में एक मजबूत संदेश भेजना है।



सत्यमेव जयते